न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः—80/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00232)

01. ईश्वर सिंह पुत्र श्री बागसिंह उम्र 58 वर्ष,
02. सवाईसिंह पुत्र श्री बागसिंह उम्र 58 वर्ष,
03. महेन्द्रसिंह पुत्र श्री बागसिंह उम्र 58 वर्ष, जाति राजपूत निवासी ग्राम कानसिंहपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

——अपीलान्ट्स

बनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये उपखण्ड अधिकारी, बुहाना, जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
02. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना, जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
03. छोटी देवी पत्नि रतनसिंह उम्र 56 साल,
04. विद्या देवी पत्नि सुरेन्द्र सिंह उम्र 52 साल,
05. हनुमान सिंह पुत्र भागीरथ सिंह आयु 56 साल,
06. जितेन्द्र सिंह पुत्र भगीरथ सिंह आयु 45 साल,
07. पाना देवी पत्नी दीप सिंह उम्र 50 साल,
08. देवी सिंह पुत्र धोकल सिंह आयु 48 साल,
09. महेश सिंह पुत्र धोकल सिंह आयु 50 साल,
10. कविन्द्र सिंह पुत्र रतन सिंह आयु 30 साल,
11. बजरंग सिंह पुत्र भागीरथ सिंह आयु 51 साल,
12. उम्मेद कॅवर पुत्री भागीरथ सिंह आयु 70 साल,
13. शायर कॅवर पुत्री भागीरथ सिंह आयु 65 साल,
14. सुप्यार कॅवर पुत्री भागीरथ सिंह आयु 55 साल,
15. विजय सिह पुत्र मदन सिंह आयु 40 साल,
16. मोहन सिंह पुत्र मदन सिंह आयु 35 साल,
17. नवल सिंह पुत्र मदन सिंह आयु 30 साल,
18. भंवरी देवी पत्नी मदन सिंह आयु 65 साल,
19. सुनील पुत्र श्री दीपसिंह आयु 36 साल,
20. सजना पत्नी भागीरथ सिंह समस्त जाति राजपूत समस्त निवासी कानसिंहपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

——रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक 30.07.2018

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनू राजस्थान के आदेश दिनांक 11.04.2017 (प्रकरण संख्या 1252/15) के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश कानून व तथ्यों के बिलकुल खिलाफ होने के कारण सरसरी तौर पर

P.T.O.

संभागीय आयुक्त

ही निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट श्रीमती छोटी देवी, विधा देवी, हनुमान सिंह व जितेन्द्रसिंह के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना के समक्ष एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 111 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत किये जाने पत्थरगढी पेश किया गया तथा उपरोक्त प्रार्थना पत्र के जवाब में अपीलार्थीगण द्वारा यह आपत्ति उठाई गई कि प्रार्थीगण की अपनी खातेदारी भूमि का स्वयं ने हाजिर होकर कोई भी सीमाज्ञान नही करवाया है तथा न ही अन्य आवेदकगण द्वारा कराऐ गये सीमाज्ञान के समय उपस्थित रहे है लिहाजा कोई खातेदार अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाए बिना अपनी भूमि में पत्थरगढी नही करवा सकता इसलिये प्रार्थीगण उपरोक्त आवेदन पत्र में वादी के रूप में पक्षकार नही बनाये जा सकते, प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र भी पेश नही किया जिसके अभाव में भी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उक्त जवाब के बाद अपीलार्थी के संज्ञान में एक नया तथ्य आया कि उपरोक्त विवादित खसरा नम्बरान में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से रास्ता दर्ज किया जाकर नये नम्बर कायम कर दिये गये है जिसका ईन्द्राज राजस्व रिकार्ड में कर दिया गया है तो अपीलार्थी द्वारा इस बाबत एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है कि उपरोक्त कारण से आवेदनगण द्वारा पूर्व में करवाया गया सीमाज्ञान सारहीन हो गया है, इस कारण पूर्व सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी नही हो सकती है। उन्होने आगे कथन किया है कि उपरोक्त प्रार्थना पत्र के रिकार्ड पर लिये जाने के वाद दिनांक 06.03.17 को आवेदकगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया तथा दिनांक 24.03.17 को अपीलार्थीगण की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया उक्त जवाब को रिकार्ड पर लिया जो पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र दिनांक 09.02.17 व प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 दिनांक 27.03.17 को नियम की गई दिनांक 27.03.17 को प्रार्थना पत्र दिनांक 10.01.17, 08.02.17, 06.03.17 सभी पर एक एक साथ बहस सुनी गयी व साथ ही मूल आवेदन पत्थरगढी पर भी बहस सुनी गई तथा दिनांक 10.04.17 को उपरोक्त तीनों प्रार्थना पत्रों पर एवं पत्थरगढी पर पुनः बहस सुनी जाकर तथ्यों का जानबुझकर तथ्यों को अनदेखा कर अधीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण द्वारा उठाई गई सभी विधि सम्मत आपत्तियों को जानबुझकर अनदेखा कर खारिज कर दिया तथा आवेदनकर्ताओं द्वारा पेश किये गये सभी तथ्यों को बिना किसी विधिक प्रावधान के होते हुए भी स्वीकार करके विधि एवं न्याय की दृष्टि से गंभीर कानूनी त्रुटि कारित की है, इस कारण से उक्त अपीलाधीन आदेश प्रथम दृष्टया ही खारिज फरमाने योग्य है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदनगण ने पत्थरगढी का आवेदन करने से पूर्व बिना सहखातेदारों की सहमति से अपनी भूमि का

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

बाला–बाला सीमाज्ञान करवा लिया जो किसी भी सूरत में किसी भी न्यायिक कार्यवाही में उपयोग में नही लिऐ जाने योग्य होने के बावजूद इस आधार पर पत्थरगढी का आवेदन किया जो प्रथम दृष्टया खारिज फरमाने योग्य था लेकिन अपीलार्थी द्वारा उक्त तथ्यों की जानकारी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लाये जाने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा पेश किये गये जवाब के पश्चात् आवेदनगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–1 नियम–10 के तहत पेश किया जो व्यक्ति परिसीमा के समय पक्षकार नही था और उपस्थित नही थे, उनको पत्थरगढी के समय पक्षकार नही बनाया जा सकता है, उक्त स्टेज पर पोषणीय नही होने के बावजूद न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थीगण को पक्षकार बनाया, जो पूर्ण रूप से विधि के प्रावधानों के विपरित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि उक्त प्रकरण में विवादित खसरा नम्बर 164, 173 में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से रास्ता दर्जकर नये नम्बर कायम कर दिये गये जिसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में करके दिया गया इस बाबत एक प्रार्थना पत्र अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया खसरा नम्बरान में परिवर्तन होने के कारणवाद में बिना संशोधन किये कोई आदेश किया जाना विधि के विपरित होगा लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्यों पर भी गौर ना करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित करके जो गंभीर त्रुटि की है, वह निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि कोई भी पक्षकार अपनी आराजी की पत्थरगढी के लिये न्यायालय में आता है तो उससे पूर्व उसे समस्त सहखातेदारों व चतुर्थ सीमाओं के पडौसी खातेदारों की उपस्थित में सीमाज्ञान करवाना आवश्यक है जबकि उक्त प्रकरण में न केवल पड़ौसी खातेदार बल्कि सहखातेदारों की उपस्थिति में भी सीमाज्ञान नही करवाया गया है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र व दावे में संशोधन का प्रार्थना पत्र स्वीकार नही किया गया और पक्षकारों को रिकार्ड पर नही लिया गया एवं सशोधन को रिकार्ड पर नही लिया गया ऐसी स्थिति में उपरोक्त पत्थरगढी का आदेश पूर्णरूप से विधि एवं विधिक प्रक्रिया के विपरित होने के कारण खारिज फरमाये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना का अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.04.17 को अपास्त फरमाऐ जाने की कृपा की जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि है जिसका सीमाज्ञान दिनांक 09.06.

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

2013 को तहसीलदार के आदेश से पटवारी हल्का एवं गिरदावर हल्का द्वारा कराया गया है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.04.2017 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.04.2017 को यथावत रखा जाता है।

(टी0रविकान्त)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 30.07.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर